क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	29/11/19	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी सं0 3 लगायत 10 उपस्थित। उभयपक्ष वकलाय से पूर्व में बहस सुनी जा चुकी है। दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि हाल खसरा नं 160, 163, 164, 165, 180, 181, 183, 185, 187, 219, 221, 220, 222 कुल खसरा संख्या 13 कुल रकबा 2.82 हैक्टेयर स्थित ग्राम गवालिनी पटवार हलका भाखेगढ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दुर्गा तहसील बस्सी जिला जयपुर की जमाबंदी हाल भू प्रबन्ध सन 2002 में भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के द्वारा प्रार्थी के नाम सही तैयार की गई थी एवं प्रार्थी की उक्त भूमी के पूर्व साबिक खसरा नं 64 आदि रहे हैं एवं उक्त भूमि का साबिक नक्शा ट्रेस सही था एवं दौराने हाल भू-प्रबन्धन सन 2002 में भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने प्रार्थी की उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित खातेदारी की भूमि का नक्शा ट्रेस

श पेश हुई! कहा कि
संख्या 3 लगायत 10
ाम से पूर्व मे बहस
बहस प्रार्थी के
मे वर्णित तथ्यो
ी कब्जे काश्त एवं
खसरा न 160, 163, 164
187, 219, 221, 220
13 कुल रकबा
म ग्वालिनी पटवार
लेख निरीक्षक क्षेत्र मुंगा
की जमाबंदी हाल
भू प्रबन्ध विभाग
धिकारियो के द्वारा
की गई थी एवं प्रार्थी
सार्विक खसरा न 64 आ०
का सार्विक नक्शा ट्रेस
मे भू० प्रबन्धन सन
विभाग के कर्मचारियो
र्थी की उक्त मौके पर
भूमि का नक्शा ट्रेस
मौके पर कर तरमीम

ग्राम एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नं० 183/1810 रकबा 0.16 हेक्टेयर खसरा नं० 185/1811 रकबा 0.12 हेक्टेयर है! स्थित ग्राम ग्वालिनी पटवार हलका भाखोगढ, भू अ० नि० क्षेत्र मुंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर की तरमीम प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमी हाल खसरा नम्बर 160, 163, 164, 165, 180, 181, 183, 185 187, 219, 220, 221, 222, कुल किता 13 कुल रकबा 2.82 हेक्टेयर स्थित ग्राम ग्वालिनी पटवार हलका भाखोगढ भू०अ०नि० क्षेत्र मुंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर के हाल नक्शा ट्रेस मे लिपिकीय भूलवश गलती से कर दी गई थी अतः प्रार्थी उक्त गलत तरमीम को दुरुस्त करवाने का कानूनन अधिकारी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान करे करने की न्यायालय महोदय से प्रार्थना की गई!

इसी प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 10 के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये! न्यायालय हाजा से निवेदन किया कि दौराने हाल बं० प्रबन्ध सन 2002 मे भू० प्रबन्ध विभाग के कर्मचारीयो व अधिकारीयो

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		ने अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 10 की खातेदारी भूमि हाल खसरा न. 157, 158, 159 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 183/1810, 185/1811 स्थित ग्राम ग्वालिनी परवर हलका माधोगढ़ तहसील बस्सी जिला जयपुर का वर्तमान नक्शा ट्रेशा ट्रेस जमाबंदी मे दर्ज रकबे के मुताबिक व उक्त भूमी के साविक ख.न. 65 के साविक नक्शा ट्रेस के मुताबिक तैयार नही किया गया है. इस कारण अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 10 अपनी उक्त लिखित खातेदारी की भूमी के वर्तमान नक्शा ट्रेस को साविक नक्शा ट्रेस के मुताबिक वर्तमान तरमीम को दुरस्त को करवाकर सही तरमीम करवाना चाहते है। जिससे पक्षकारो के मध्य विवाद का सही व अन्तिम रूप से निपटारा हो सके। प्रार्थी के अधिवक्ता व अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 10 के अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय हाजा द्वारा सावधानी पूर्वक मनन किया गया। व पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 के दस्तावेजी साक्ष्यो का अवलोकन किया गया. एवं पत्रावली ...

उभय पक्ष
3 लगायत
दस्तावेजो
पश्चात
धारा 131
को स्वीकार
है व साथ
आदेशित कि
एवं खातेदार
164, 165,
221, 222,
2.82, हैक्टेय
हलका माधो
क्षेत्र पूर्णा
वर्तमान नक्शा
खसरा न 64
3.3 हे. किये
व अप्रार्थीगण
की भूमी हाल
खसरा न. 18
ग्राम ग्वालिनी
बस्सी जिला
सन 2002 मे

...मा 10 की
157, 158, 159
...4, 195, 196,
... स्थित ग्राम
...मालोगढ़ तहसील
...र्तमान नक्शा
...रखने के मुताबिक
...खन० 65 के
...क त्यार नहीं किया
...गण संख्या 3 लगायत
...तेदारों की भूमी
...साबिक नक्शा ट्रेस
...म को दुरस्त को
...रवाना चाहिये। जिससे
...को सही व अन्तिम
...!
... अप्रार्थीगण संख्या
...ख्शा की वहस पर
... सावधानी पूर्वक
...पत्रावली पर उपलब्ध
...संख्या ~~10~~ 3 लगायत 10
...यो को अवलोकन किया
...रा वेशाने वहस पेश

उभय पक्ष वकुलाय प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 की वहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन पश्चात प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाते है व साथ ही नायब तहसीलदार दूगा को आदेशित किया जाता है प्रार्थी की कदीमे काश्त एवं खातेदारी भूमी हाल खसरा नम्बर 160, 163 164, 165, 180, 181, 183, 185, 187, 219, 220, 221, 222, कुल किता किता 13 कुल रकबा 2.82 हैक्टेयर स्थित ग्राम ग्वालिनी परवार हलका माल्लोगढ़ भू. अभिलेख निरक्षक क्षेत्र दूगा तहसील बस्सी जिला जयपुर के वर्तमान नक्शा ट्रेस को उक्त भूमी के साबिक खसरा न 64 के साबिक नक्शा ट्रेस के मुताबिक दुरस्त किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। व अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 10 की खातेदारी की भूमी हाल खसरा न 183/1810 रकबा 0.16 है. खसरा नं० 185/1811 रकबा 0.12 है० स्थित ग्राम ग्वालिनी परवार हलका माल्लोगढ़ तहसील बस्सी जिला जयपुर की वेशाने हाल भू०प्रबन्ध सन 2002 मे भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियो द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मे

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		नक्शा ट्रेस में गलत मरमीम की गई थी उक्त गलत मरमीम को दुरुस्त कर इन्द्राज करने का आदेश दिया जाता है। न्यायालय हाजा के निर्णय व आदेश की प्रति के साथ मूल प्रार्थना पत्र की छाया प्रति मय तहरीर के साथ वास्ते आदेश कि पालना हेतु नायब तहसीलदार दूदू को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होने पर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29/11/19 को खुले न्यायालय एवं सरे इजलास सुनाया गया। उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट बस्सी जिला-जयपुर